न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 3721–तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 28–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1341/अ/12–13.

पारस नाथ विश्वकर्मा पुत्र श्री रामसुभा विश्वकर्मा
आयु 55 साल व्यवसाय कृषि कार्य,
निवासी ग्राम सजहर, तहसील देवसर
जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

.....आवेदक

विरूद्ध

श्याम कार्तिक विश्वकर्मा उर्फ गंगा विश्वकर्मा
पुत्र भगवान दास विश्वकर्मा, निवासी ग्राम गिधेर,
तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 08/12/15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3721–तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 1341/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28–10–2014 के विरूद्ध संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । प्रकरण वादभूमि सर्वे नंबर 58/2 रकबा 8 एकड़ नवीन 211/0.41, 213/2.66, 430/0.13 कुल किता 3 रकबा 3.24 हैक्टेयर, ग्राम सजहर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली से संबंधित है जो निगराकार पारस के अनुसार उसके एवं गैर निगराकार श्याम (जो एक परिवार के सदस्य हैं) के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ती है एवं गैर निगराकार श्याम के अनुसार उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18–6–76 से क्रय की गई होकर उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की है । निगराकार के अनुसार वह ग्राम सजहर में निवास करता है और गैर निगराकार ग्राम गिधेर में, जिस कारण ग्राम सजहर स्थिति वाद भूमि को निगराकार के नाम किये जाने के लिये उसने (गैर निगराकार ने) राजस्व निरीक्षक, मण्डल गिर्द, तहसील देवसर को उनके प्रकरण कमांक 243/अ–6/82–83 में अपना सहमति पत्र दिया था, जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक ने निगराकार के आवेदन दिनांक 15–1–83 पर दिनांक 15–2–83 को निगराकार के हित में वाद भूमि का नामांतरण आदेश पारित कर दिया । निगराकार के अनुसार इस के बाद वह निरन्तर वाद भूमि पर कृषि करता रहा, एवं लगभग 30 वर्ष उपरान्त गैर निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी, देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जहॉ प्रकरण कमांक 215/अपील/11–12 में आदेश दिनांक 27–8–13 से अपील खारिज हुई । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा के समक्ष द्वितीय अपील गैर निगराकार ने की, जहॉ पारित आक्षेपित आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी दायर हुई ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए । निगराकार अधिवक्ता ने अपने तर्क में उन्हीं बिन्दुओं को बताया जो निगरानी मेमो एवं लिखित तर्क में लिखे हैं एवं जिनका संक्षेप ऊपर भी दिया गया है । गैर निगराकार अधिवक्ता के अनुसार गैर निगराकार ने वाद भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18–6–76 से खरीदी थी और राजस्व अभिलेख में उसका नाम अंकित था । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–83 उसकी जिस सहमति के आधार पर पारित किया गया था, वह उसने (गैर निगराकार ने) दिया ही नहीं था। राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 15–2–83 की जानकारी गैर निगराकार को 4–10–11 को मिली, जिसके बाद उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की । इस प्रकार के बिन्दुओं

को अपने आदेश में लिखते हुए एवं अपने निर्णय का आधार बनाते हुए अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो गैर निगराकार के अनुसार सही है । उन्होंने अपने लिखित उत्तर एवं लिखित तर्क में जिन बिन्दुओं को सम्मिलित किया है, उन्हें बताया ।

4/ प्रस्तुत तर्कों में समक्ष आए समस्त बिन्दुओं को मेरे द्वारा विचार में लिया जा रहा है । तर्कों के प्रकाश में मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेख का अध्ययन किया गया । प्रकरण में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु विचार योग्य हैं :

(1) राजस्व निरीक्षक के प्रकरण की आदेश पत्रिका एवं सहमति पत्र में जो हस्ताक्षर श्याम कार्तिक की ओर से हैं, वे प्रथम दृष्टया अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत श्यामकार्तिक के हस्ताक्षर से भिन्न हैं (दोनों में 'क' आदि अक्षर बनाने का तरीका प्रथमदृष्टया फर्क दिखता है) ।

(2) राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में पारस का आवेदन एवं श्यामक I जवाबदावा एक ही लिखावट में एवं एक ही दिनांक 15–1–83 को तैयार किए गए हैं । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में जो इश्तहार जारी हुआ है, उसमें भी प्रविष्टियां प्रथमदृष्टया उसी लिखावट में हुई होना प्रतीत होती हैं, जिसमें आवेदन और जवाबदावा बने हैं, केवल राजस्व निरीक्षक का हस्ताक्षर इश्तहार में नीचे उनकी अपनी लिखावट में है ।

(3) 15–1–83 के बाद अगली पेशी दिनांक 15–2–83 में राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण आदेश पारित कर दिया है ।

(4) पारस एवं श्याम एक ही परिवार के हैं, एवं वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की है, यह कहीं प्रमाणित नहीं है ।

(5) श्याम ने पारस को भूमि का कोई अन्तरण स्टाम्प ड्यूटी अदायगी के साथ नहीं किया है ।

(6) दिनांक 18–6–76 के जिस विक्रय पत्र का संदर्भ श्याम ले रहे हैं उसकी नस्ती में उपलब्ध प्रति में कहीं भी गैर निगराकार श्यामकार्तिक का नाम बतौर केता लिखा है और

तीनों विक्रेताओं, गवाहों और उप पंजीयक के हस्ताक्षर है, जिन आधारों पर उसे वैध माना जा सकता है ।

(7) खसरा पंचशाला पी--दो में वर्ष 81–82 तक श्यामकार्तिक एवं उसके बाद पारस का नाम लिखा है ।

5/ उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में मैं स्वंय को अपर आयुक्त के इन निष्कर्षों से सहमत पाता हूँ कि न्यायालय राजस्व निरीक्षक ने छल–छिद्र से नियम विरूद्ध एवं अवैधानिक आदेश द्वारा निगराकार पारस नाथ के हित में नामांतरण किया था, यह भूमि 1976 के विक्रय के आधार पर गैर निगराकार श्याम द्वारा स्व–अर्जित होने से उसके स्वामित्व की थी, तथा यह भी कि पारस को वाद भूमि पर स्वत्व प्राप्त करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करते हुए उसका अन्तरण कराने की आवश्यकता थी जो उसने नहीं किया । इस आधार पर मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 28–10–14 सही पाते हुए स्थिर रखता हूँ एवं यह निगरानी खारिज करता हूँ ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
अभिलेख वापस हो ।
पक्षकार सूचित हों ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर